न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

स्वत्व वाद संख्या 50/2023

दिनांकः 21.11.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 10.11.2023 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि वाद पत्र को सूक्ष्मता से अवलोकन करने के पश्चात यह पता चला कि वाद पत्र में टंकन की गलती से कुछ गलत शब्द दर्ज हो गये है तथा वाद पत्र में कुछ पक्षकार बनना छूट गया है और पक्षकारों का शेयर गलत टाइप हो गया है यह कि वाद पत्र के पृष्ठ संख्या 4 पर प्रथम पंक्ति में शब्द भी के बाद और शब्द अपने के पहले ''अपने पत्नी शांति देवी प्रतिवादी संख्या 9 एव 10 हैं जो '' और इसी पृष्ठ के पैरा 4 के चौथी पंक्ति में को शब्द को काट कर उसके जगह दर्ज कर दिया जाए। इसी तरह पैरा 4 के पांचवे पंक्ति में ''छोड़कर स्वर्गवास कर गये'' तक वाक्य काट दिया जाए। यह कि पेज न0 6 पर पैरा 8 में और पैरा 12 में जहां जहां 1/6 दर्ज है उसे काटकर ''1/12 दर्ज कर दिया जाए तथा जहां जहां 1/30 दर्ज है उसे काटकर उसकी जगह 1/18 दर्ज किया जाए और पैरा 12 के दूसरे पंक्ति में 50 हजार उसे काटकर उसकी जगह ''25 हजार कर दिया जाए। उसी पैरा के चौथे पंक्ति में जहां 50 हजार 01 सौ उसे काटकर उसकी जगह 25 हजार 01 सौ कर दिया जाए और वंशावली में राजेन्द्र पाण्डेय के नीचे ''शांति देवी दर्ज कर दिया जाए'', धमेन्द्र पाण्डेय की पहली पत्नी से ''रजनीश कुमार'' दर्ज कर दिया जाए। यह कि वाद पत्र में प्रतिवादी के खाने में निम्नलिखित प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया जाए जो निम्नांकित है।

12. श्री राजेन्द्र पाण्डेय वल्द स्व0 वृजनन्दन पाण्डेय
13. शान्ति देवी जौजे राजेन्द्र पाण्डेय
14. रजनीश कुमार वल्द धर्मेन्द्र पाण्डेय

प्रतिवादी प्रथम पक्ष

15. संतोष कुमार पाण्डेय वल्द हरिशंकर पाण्डेय
16. विकी कुमारी जौजे मृगेन्द्र कुमार
17. रंजीत कुमार
18. आलोक कुमार

सभी 15 से 18 तक वल्द स्व0 रामाकांत पाण्डेय

19. शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता स्व0 व्यास पाण्डेय ग्राम धुसियार, पोस्ट दरियापुर, थाना संग्रामपुर जिला पूर्वी चम्पारण।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष।

इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके आलोक में वाद पत्र में संशोधन करने की इजाजत प्रदान की कृपा की जाए।

प्रतिवादी अभी इस मामले में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं अतः इस बिंदु पर प्रतिवादी का पक्ष नहीं आ सका है ।

स्वत्व वाद संख्या 50 / 2023

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन और प्रतिवादी के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया आवेदन विचारण के प्रारंभ होने से पहले दिया गया है तथा मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रस्तुत मामले में अभी प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं हैं । प्रस्तुत मामले में वादी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वाद पत्र को बेहतर एवं युक्तियुक्त सावधानी के साथ प्रस्तुत करे परन्तु इस मामले में वादी ऐसा नहीं कर सका है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में यह वर्णित है कि मामले में वाद पत्र में संशोधन वाद की कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में यद्यपि वादी के द्वारा उचित तत्परता नहीं दिखाई गयी है परन्तु संशोधन को देखने से प्रतीत होता है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और इससे वाद पत्र की प्रकृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा अतः 500 रुपये खर्चे जो न्यायलय में जमा किया जाए, के साथ प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के साथ कि कार्यालय अग्रिम तिथि में संशोधन पूर्ण करे। वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।